भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विचारकों की राय

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों की संक्षिप्त लेकिन व्यापक अभिव्यक्ति के रूप में देखा। उनका मानना था कि इसमें पूरे संविधान का सार समाहित है और यह भावी पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा।

जवाहरलाल नेहरू: भारत के पहले प्रधान मंत्री नेहरू ने प्रस्तावना को एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के राष्ट्र के संकल्प की घोषणा के रूप में माना। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक शासन, सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रतिबिंब के रूप में देखा।

ग्रानविले ऑस्टिन: एक प्रसिद्ध संवैधानिक इतिहासकार, ग्रानविले ऑस्टिन ने संविधान की "हृदय और आत्मा" के रूप में प्रस्तावना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य के लिए भारत की आकांक्षाओं को उजागर करता है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को कायम रखता है।

न्यायमूर्ति हंस राज खन्ना: केशवानंद भारती मामले में अपनी असहमतिपूर्ण राय में, न्यायमूर्ति खन्ना ने प्रस्तावना को संविधान का "पहचान पत्र" बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावना के मूल्यों और उद्देश्यों को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या का मार्गदर्शन करना चाहिए।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी: भारतीय जनसंघ (भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती) के संस्थापक, मुखर्जी ने 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़े जा रहे "धर्मनिरपेक्ष" शब्द के बारे में चिंता व्यक्त की। उनका मानना था कि इससे धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप हो सकता है।

के.एम. मुंशी: संविधान सभा के सदस्य मुंशी ने राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तावना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इसने भारत के शासन के बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित किया और नागरिकों को इसके आदर्शों को साकार करने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।

फली एस. नरीमन: प्रख्यात न्यायविद् फली एस. नरीमन ने संविधान की न्यायपालिका की व्याख्या को निर्देशित करने में प्रस्तावना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावना के मूल्य कानूनों और कार्यों की संवैधानिकता का आकलन करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करते हैं।

सोलोमन एफ. डायस: एक संवैधानिक विद्वान, डायस ने तर्क दिया कि प्रस्तावना "संविधान के निकाय" की प्रस्तावना थी और इसकी प्रस्तावना के माध्यम से संविधान के सार को समझने के महत्व पर जोर दिया।

संवैधानिक विद्वान: कई विद्वानों का मानना है कि प्रस्तावना केवल एक सजावटी प्रस्तावना नहीं है बल्कि संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित करने और राष्ट्र के शासन के लिए व्यापक लक्ष्य निर्धारित करने में इसकी भूमिका को रेखांकित करते हैं।